

कार्यालय, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव (छोगो)

!! निविदा सूचना !!

क्रमांक १२० / जल / नि ०-२०१६-१७

राजनांदगांव दिनांक २४/०९/१७

नगर पालिक निगम, राजनांदगांव क्षेत्रांतर्गत पाईप लाईन विस्तार कार्य हेतु एकीकृत पंजीयन प्रणाली के “डी” वर्ग में पंजीकृत ठेकेदारों से ४०४० शासन लो.स्वा.यां. विभाग के एस.ओ.आर. ०७.०२.२०१३ के आधार पर कम/अधिक प्रतिशत दर में फार्म “ए” निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदाकार को निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पूर्व निर्धारित शुल्क जमाकर कार्यालयीन अवधि में प्राप्त किया जा सकता है अथवा वेबसाईट से सीधे निविदा प्रपत्र डाउनलोड कर निविदा प्रपत्र हेतु निर्धारित राशि की अतिरिक्त डिमांड ड्राफ्ट सहित भरी हर्ड निविदा में अमानत राशि के साथ प्रेषित कर सकेंगे।

- निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि
 - प्राप्त निविदाएं खोलने की तिथि

:- 16/03/2017 शाम 5.00 वजे तक
:- 17/03/2017 को

संध्या 4.30 बजे कार्यपालन अभियंता के कक्ष में नगर पालिक निगम, राजनांदगांव

क्रं.	कार्य का नाम	अनुमानित राशि (लाखों में)	अमानति राशि	निविदा प्रपत्र मुल्य	निविदा प्रपत्र श्रेणी	
1	आर.के. नगर ओवर हेड टैंक के ओवर फ्लो पाईप को सप्लाई लाईन से जोड़ने बाबत्। (200 एम. एम. डाया)	1.56	2000.00	300.00	ए. फार्म	

शार्ट-

- निविदाकार को आवेदन के साथ वाणिज्यकर चुकता प्रमाण पत्र, पेन नम्बर की छायाप्रति एवं जीवित पंजीयन की प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।
 - सशर्त निविदा खीकार नहीं किया जावेगा।
 - सुरक्षानिधि एवं करों की नियमानुसार कटौती की जावेगी।
 - किसी भी विवाद की रिथति में सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
 - प्राक्कलन में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है। जिसका एस.ओ.आर. के आधार पर नियमानुसार भुगतान किया जावेगा।
 - अनुमानित राशि में कमी/वृद्धि की जा सकती है।
 - राशि उपलब्धता के आधार पर भुगतान किया जावेगा।

~~Bmws~~ 28/02/17
आयुक्त,

नगर पालिक निगम, राजनांदगांव

राजनांदगांव दिनांक २४ / ०२ / १७

प्रक्रमांक ७९१ / जल / नि ०-२०१६-१७

- माननीय महापौर / अध्यक्ष नगर पालिक निगम, राजनांदगांव की ओर सादर सूचनार्थ ।
 - प्रभारी सदस्य, जल विभाग, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव की ओर सादर सूचनार्थ ।
 - कार्यालय ————— नोटिस बोर्ड में चर्खा हेतु।
 - डाटा सेंटर प्रभारी, विभागीय वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।

नगर पालिक निगम राजनांदगाव

३मी. ८
२८/०२/१७
आयुक्त,